नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Rajnandgaon - 04 Jul 2025 - 04rajn3
epaper.navabharat.news

मासूम बच्ची के दुष्कर्मी के आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास

मामला डोंगरगांव थाना क्षेत्र का

नवभारत रिपोर्टर। राजनांदगांव।

3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सुश्री प्रिया कांकरिया ने बताया कि माह जनवरी 2023 में पीड़ित बच्ची के चाचा ने अपनी भतीजी को लेकर टीवी देखने अभियुक्त के यहां गया था। टीवी देखते-देखते बच्ची सो गई और उसका चाचा अपनी मजदूरी का पैसा लेने घर से बाहर चला गया। बच्ची की दादी गांव के मंच के पास ही बैठी हुई थी। तभी अपनी पोती के जोर-जोर से रोने की आवाज सुनकर आरोपी के घर गई, तब उसने देखी कि बच्ची के गाल में चोट के निशान थे व उसकी नाक से खून बह रहा था। तब बच्ची की दादी उसके प्राइवेट पार्ट को देखी जहां चोट व खरोच के निशान थे। आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची की दादी की लिखित शिकायत पर थाना डोंगरगांव द्वारा मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तथा संपूर्ण जांच के उपरांत अभियोग पत्र विचरण हेतु विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा दलील को सुनकर न्यायालय ने मामले के विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्षियों का परिशीलन करने के पश्चात अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मामले को विश्वसनीय पाते हुए मामले को प्रमाणित पाया और दंड के प्रश्न पर विचार करते समय कहा कि किसी स्त्री पर यौन हमला किया जाता है या बलात्संग किया जाता है, वहां पर पीड़िता के साथ केवल शारीरिक हिंसा कारित नहीं होती बल्कि ऐसी मानसिक हिंसा कारित होती है, जो मृत्यु पर्यंत रहती है। इसलिए ऐसे अपराध में अभियुक्त के प्रति अनावश्यक सहानुभूति या उदारता दिखाया जाना उचित नहीं है। 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट राजनांदगांव पीठासीन न्यायाधीश ओम प्रकाश साहू द्वारा थाना डोंगरगांव क्षेत्र अंतर्गत निवासी अभियुक्त महादेव निषाद उम्र 40 साल को दोषी पाए जाने पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

न्यूज डायरी

भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 में चयनित अभ्यर्थी देंगे युवाओं को सही मार्गदर्शन